भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1793

उत्तर देने की तारीख-10.03.2025

शैक्षणिक केन्द्रों के समक्ष चुनौतियां

1793. **श्री अरुण गोविल**:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेरठ और हापुड़ जैसे प्रमुख शैक्षणिक केन्द्र शिक्षा प्रणाली में अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या छात्र और उनके अभिभावक सरकारी सहायता, शिक्षकों की कमी, विद्यालयों की अवसंरचना और परीक्षा प्रणाली के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं;

(ग) देश में मेरठ और हापुड़ जैसे प्रमुख शैक्षणिक केन्द्रों में कम्प्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों जैसी अवसंरचना उपलब्ध कराने और छात्राओं की सुविधा के लिए शिक्षकों और शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और उनके शैक्षणिक भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने हेतु सरकार की क्या रणनीतियां हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूल शिक्षा हेतु एक एकीकृत केन्द्र प्रायोजित योजना-समग्र शिक्षा को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें पूर्व-प्राथमिक से कक्षा XII तक समग्र रूप से विभाजन रहित स्कूल शिक्षा की परिकल्पना की गई है और जो शिक्षा हेतु सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुरूप है। यह योजना शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु सहायता प्रदान करती है।

इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत, प्रारंभिक स्तर पर पात्र बच्चों को मुफ्त वर्दी, शिक्षण अधिगम सामग्री, माध्यमिक स्तर तक परिवहन/मार्गरक्षण सुविधा, स्कूल न जाने वाले बच्चों के आयु के अनुसार विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, विशेष प्रशिक्षण केंद्र, आयु के अनुसार आवासीय

और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, स्कूल न जाने वाले बच्चों (16 से 19 वर्ष) को एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से शिक्षा पूरी करने के लिए सहायता, समग्र प्रगति कार्ड, द्विभाषी शिक्षण सामग्री और पुस्तकें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को सहायता सहित बच्चों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

साथ ही, योजना के अंतर्गत, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलने/ उन्हें सुदृढ़ करने, स्कूल भवनों और अतिरिक्त वर्ग कक्षाओं के निर्माण, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल की अवसंरचना का विकास/सुदृढ़ीकरण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, स्तरोन्नयन और संचालन, पीएम-जनमन के तहत पीवीटीजी के लिए छात्रावासों का निर्माण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, अल्पसेवित अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छात्रावासों का निर्माण, आरटीई अधिनियम के तहत पुनर्भरण, विभिन्न गुणवत्तापूर्ण घटक, अध्यापक शिक्षा तथा डाइट/बीआरसी/सीआरसी का सुदृढ़ीकरण, आईसीटी एवं डिजिटल पहलों सहित स्कूल शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

समग्र शिक्षा के तहत, वार्षिक योजनाएं संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं/प्राथमिकता के अनुसार तैयार की जाती हैं और इन्हें उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) प्रस्तावों में परिलक्षित किया जाता है। इसके बाद स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/आकलन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानकों, राज्य के पूर्व में स्वीकृत कार्यों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार किया जाता है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और देश के अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से मेरठ और हापुड़ सहित सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रोजेक्ट अलंकार शुरू किया है। आवश्यकतानुसार पेयजल सुविधा, लड़कियों के लिए पृथक शौचालय, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जैव प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय आदि का निर्माण किया जा रहा है। समग्र शिक्षा के तहत कंप्यूटर लैब और अन्य बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाया गया है। नियंत्रण कमांड केंद्रों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी के करण विगत सात वर्षों से नकल मुक्त परीक्षा सुनिश्चित हुई है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) वर्ष 2020 से छात्रों द्वारा जानकारी को याद रखने और उसे पुनर्सृजित करने की क्षमता के स्थान पर उनकी समझ, वैचारिक स्पष्टता और विश्लेषणात्मक क्षमता का परीक्षण करने के उद्देश्य से कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में लगातार योग्यता-केंद्रित प्रश्नों को शामिल कर रहा है।

******